

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 31/2025/ सरफैसी

Pegasus Assets reconstruction Pvt Limited Corporate Office- 55&56, 5<sup>th</sup>  
Floor, Free press House Nariman point, Mumbai 400021

.....प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स धान्नावत ऑटोमोबाइल्स जरिये प्रोपराईटर भरत कुमार जैन, कार्यालय पता 11 सुरजपोल के बाहर, उदयपुर  
अन्य पता:-

मैसर्स धान्नावत ऑटोमोबाइल्स जरिये प्रोपराईटर भरत कुमार जैन, कार्यालय पता म.नं. 67, आदर्श हाउसिंग सोसायटी, विद्या नगर, हिरणमगरी, मनवाखेड़ा, सेक्टर 4, उदयपुर

2. श्री भरत कुमार जैन पुत्र श्री बसंत कुमार जैन, निवासी म.नं. 67, आदर्श हाउसिंग सोसायटी, विद्या नगर, हिरणमगरी, मनवाखेड़ा, सेक्टर 4, उदयपुर
3. सरिता जैन पुत्री श्री सुखानन्दन जैन, 36ए, निवासी म.नं. 67, आदर्श हाउसिंग सोसायटी, विद्या नगर, हिरणमगरी, मनवाखेड़ा, सेक्टर 4, उदयपुर

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री रवि चितौडा अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 28/01/25

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 88,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (म.नं. 67, खसरा संख्या 1278 से 1281, 1284 से 1294, 1296 से 1298 राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित है जो कि श्री भरत कुमार जैन पुत्र श्री बसंत कुमार जैन के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1785 वर्गफीट है।) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 14.09.18 तक 89,94,567.21/-रुपये भुगतान नहीं करने

M  
जिला कलक्टर  
उदयपुर

पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भालाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 88,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 14.09.18 तक 89,94,567.21/-रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (म.नं. 67, खसरा संख्या 1278 से 1281, 1284 से 1294, 1296 से 1298 राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में स्थित है जो कि श्री भरत कुमार जैन पुत्र श्री बसंत कुमार जैन के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1785 वर्गफीट है।) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर